

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने क्षैतजि आरक्षण याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल नवासी महिलाओं को 30% क्षैतजि आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखण्ड सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य बद्दि:

- याचिका में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतजि आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1) को चुनौती देते हुए कहा गया है कि राज्य की महिलाओं के लिये 30% आरक्षण भारत के संवधान के अनुच्छेद 16 के दायरे से बाहर है।
- मामले के अनुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने 14 मार्च 2024 को प्रांतीय सविलि सेवा (PCS) के वभिन्न पदों के लिये वजिआपन जारी किया था।
 - वजिआपन के खंड 10 (d) में उत्तराखण्ड की मूल नवासी महिला उम्मीदवारों के लिये 30% क्षैतजि आरक्षण का प्रावधान है।
 - याचिकाकर्ता ने आरक्षण को चुनौती दी और कहा कि केवल मूल नवासि के आधार पर क्षैतजि आरक्षण नहीं किया जाना चाहिये।
 - उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (महिलाओं के लिये क्षैतजि आरक्षण) अधिनियम, 2022 की धारा 3(1) असंवधानिक है क्योंकि यह भारत के संवधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करती है।

भारत के संवधान का अनुच्छेद 16

- लोक नयिोजन के वषिय में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण का आधार प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पछिडे वर्ग के पक्ष में नयिक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है, जनिका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
 - अनुच्छेद 16(4A) में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात के पक्ष में पदोन्नत के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
 - अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान है कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नयिक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई उपबंध कर सकता है।